



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082020-221138
CG-DL-E-14082020-221138

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]
No. 397]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त, 13, 2020/श्रावण 22, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2020/SRAVANA 22, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 502(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिसमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

कोई आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) जब तक और अन्यथा विनिर्दिष्ट, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से और उसके बाद प्रवृत्त होंगे। ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित)

(क) नियम (2) में उप-नियम (गकख) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(गकख) निर्माण उपकरण वाहन से रबड़ की टायर वाली (न्यूमेटिक टायर वाली को सम्मिलित करते हुए), रबड़ पैड लगी हुयी या स्टील की ड्रम चढ़ी हुयी, स्वयं प्रजोदित खुदायी करने वाली, लदायी करने वाली, बेकहो, काम्पैक्टर, रोलर, डम्पर, मोटर ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, रबड़ ट्रैक वाली डोजर और पेवर्स, फोर्क लिफ्ट ट्रक, स्वयं भरायी करने वाली कंक्रीट मिक्सर या कोई अन्य निर्माण उपकरण वाहन या इसके संयोजन को मुख्य रूप से अर्थ मूविंग या भूमि, चट्टान, अन्य सामग्रियों को खोदने, लदान, परिवहन, ड्रिलिंग, फैलाने, जमा करने के लिए किया गया, उच्च पथ से दूर खनन, औद्योगिक उपक्रम, सिंचाई और सामान्य निर्माण कार्य में संचालन हेतु विरचित इनका संयोजन, किंतु राजमार्ग की क्षमताओं के साथ "चालू या बंद" या "चालू और बंद" रूप में उपांतरित और विनिर्मित वाहन अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण: -एक निर्माण उपकरण वाहन या अर्थ मूविंग वाहन एक गैर-परिवहन वाहन होगा, जिसका सड़क पर चालन उच्च पथ के क्रिया-कलापों से मुख्य रूप से दूर और घटनात्मक है और एक संक्षिप्त काल के लिये 50 कि.मी. प्रतिघंटा से अनधिक एक गति पर है, किंतु ऐसे वाहन अन्य शुद्धतः उच्च पथ से बाहर निर्माण उपकरण वाहन को शामिल नहीं करती है जो किसी बंद परिसरों, फैक्ट्री या खनन सड़क नेटवर्क से अन्यथा प्रयोग हेतु विरचित की गई है और अपनायी गयी है और आम सड़क पर यात्रा करने के लिए अपनी शक्ति पर यात्रा करने के लिए सज्जित नहीं है। कोई भी निर्माण उपकरण वाहन या क्रॉलर्स / मेटल ट्रैक उदाहरणार्थ पहियों वाले उत्खनक या पैरों वाले उत्खनक लगे अर्थ मूविंग वाहन को सीएमवीआर के दायरे में आने वाला नहीं माना जाता है, क्योंकि उन्हें आम सड़कों पर चालन की अनुमति नहीं है।"

(ख) नियम 96-क में उप नियम (7) में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

"बशर्ते, इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद विनिर्मित निर्माण उपकरण वाहन में आईएस / आईएसओ: 6165: 2012 में निर्धारित की गई ब्रेकिंग प्रणाली का प्रावधान किया जाएगा या समय समय पर यथा-संशोधित एआईएस: 143-2017 में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा।";

(ग) उक्त नियमों में, नियम 98-क में उप-नियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"बशर्ते कि, 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद विनिर्मित निर्माण उपकरण वाहन सभी चालन परिस्थितियों में वाहन का कुशल और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से डिज़ाइन किए जाएंगे, ताकि वाहन समय-समय पर यथा संशोधित आईएसओ: 7457: 1997 में विनिर्दिष्ट परीक्षण प्रक्रिया के अनुरूप 24 मीटर दायरे के भीतर मोड़ने में सक्षम हो। तथापि स्व-चालित टेंडम ड्रम और एकल ड्रम वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर के मामले में, मोड़ का दायरा और मोड़ सर्कल आवश्यकताओं को क्रमशः आईएस: 5500 - भाग 1 और भाग 2 के अनुसार मापा जाएगा।";

(घ) नियम 98-क के उप नियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"बशर्ते कि, 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद विनिर्मित निर्माण उपकरण वाहन आईएस / आईएसओ: 6165: 2012 या समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 144-2018 के अनुरूप सीएमवीआर में निर्धारित स्टीयरिंग की आवश्यकता का अनुपालन करेगा। तथापि, यदि आपातकालीन स्टीयरिंग प्रणाली प्रदान की जाती है, तो आपातकालीन स्टीयरिंग प्रणाली के लिए अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताओं हेतु समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 144-2018 में विनिर्दिष्टानुसार अनुपालना भी की जाएगी।"

(ड.) उक्त नियमों में, नियम 120 में, उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

"(6) निर्माण उपकरण वाहनों के मामले में, स्थिर परीक्षण स्थितियों के तहत ऑपरेटर के कान पर उत्सर्जन ध्वनि दबाव का स्तर आईएसओ: 6394: 2008 के अनुसार होगा, गतिशील परीक्षण के तहत ऑपरेटर के कान की स्थिति आईएसओ: 6396: 2008 के अनुसार होगी और स्थिर परीक्षण की स्थिति में ध्वनि शक्ति का स्तर आईएसओ: 6393: 2008 के अनुसार होगा, गतिशील परीक्षण की स्थिति में ध्वनि शक्ति का स्तर आईएसओ: 6395: 2008 के अनुसार होगा, जो समय-समय पर यथा संशोधित, सीमाओं का अनुपालन करते हुए नीचे तालिका -1 और तालिका -2 में विनिर्दिष्ट है।

तालिका -1: स्थिर और गतिशील स्थितियों में ऑपरेटर के कान पर ध्वनि की सीमा

मशीन का प्रकार	ऑपरेटर की स्थिति पर उत्सर्जन ध्वनि दबाव स्तर डीबी(ए) (केबिन से सुसज्जित निर्माण उपकरण वाहन के लिए)	
	चरण - I 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी शर्तें (आईएसओ 6394 के अनुसार)	चरण-II 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी शर्तें (आईएसओ 6396 के अनुसार)
सभी अर्थ मूविंग मशीनरी	90	85

तालिका -2: स्थिर और गतिशील स्थितियों में ध्वनि परीक्षण पास करने की सीमा

मशीन का प्रकार	इंजन की सकल शक्ति पी, केडब्ल्यू	उत्सर्जक ध्वनि शक्ति स्तर सीमा डीबी(ए)	
		चरण - I 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी शर्तें (आईएसओ 6393 के अनुसार)	चरण-II 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी शर्तें (आईएसओ 6395 के अनुसार)
कॉम्पेक्शन मशीन (वाइब्रेटिंग रोलर)	पी≤8	110	107
	8≤पी≤70	111	108
	70≤पी≤560	91+11 लॉग पी	88+11 लॉग पी

पहिएदार लोडर, पहिएदार डोजर, बैकहो लोडर, स्किड स्टीयर लोडर, डंपर, मोटर ग्रेडर, रबड़ ट्रैक वाले डोजर्स, रबर ट्रैक वाले पेवर्स, फोर्क लिफ्ट ट्रक, कॉम्पेक्टिंग रोलर्स (नॉन-वाइब्रेटिंग रोलर्स), डंप ट्रक या सीएमवीआर के दायरे में आने वाला कोई अन्य निर्माण उपकरण	पी≤55	110	107
	55<पी≤560	91+11 लॉग पी	88+11 लॉग पी
पहिएदार हाइड्रोलिक उत्खनक	पी≤15	98	95
	15<पी≤560	85+11 लॉग पी	82+11 लॉग पी
मोबाइल क्रेन, स्व-लदान कंक्रीट मिक्सर	पी≤560	93+11 लॉग पी	90+11 लॉग पी
नोट: अनुमेय ध्वनि शक्ति स्तर को निकटतम पूर्ण संख्या (कम संख्या के उपयोग के लिए 0.5 से कम, उच्चतर संख्या के लिए 0.5 से अधिक या उसके बराबर) माना जाएगा। इंजन की सकल शक्ति पी को टीएपी 115/116 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।			

(च) नियम 125 के उप नियम 125-क में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

“बशर्ते, इसके अलावा, चालक और आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट और पीछे देखने वाले शीशे से सुसज्जित निर्माण उपकरण वाहन आवश्यकताओं का अनुपालन किए जाने वाला माना जाएगा, यदि निर्माण उपकरण वाहन 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी उप नियम 125-जे में दी गई आवश्यकता का अनुपालन करता है।”

(छ) उक्त नियमों में, नियम 124-ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

"124-ग. निर्माण उपकरण वाहनों (सीईवी) के घटकों के सुरक्षा मानक

निर्माण उपकरण वाहन, एआईएस-160 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

बशर्ते कि [1 अप्रैल, 2021] को और उसके पश्चात् विनिर्मित निर्माण उपकरण वाहनों के लिए एआईएस-160 के दायरे के अनुसार एआईएस-160 का भाग 1 लागू होगा।

बशर्ते, इसके अलावा, [1 अप्रैल, 2024] को और उसके पश्चात् विनिर्मित निर्माण उपकरण वाहनों के लिए एआईएस-160 के दायरे के अनुसार एआईएस-160 का भाग 2 लागू होगा।

[फा.सं. आरटी -11036/77/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

नोट - मूल नियम 2 जून 1989 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक की अधिसूचना संख्या.....के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2020

G. S. R. 502(E).---The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020.

(2) Unless and otherwise specified, these rules shall come into force on and after the date of their final publication in official gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules)

(a) in rule (2) for sub-rule (cab), the following shall be substituted namely.-

"(cab)construction equipment vehicle means a self-propelled machine with rubber tyred (including pneumatic tyred), rubber padded or steel drum wheel mounted compactor, wheeled hydraulic excavator, wheel loader, backhoe loader, skid-steer loader, dumper, motor grader, mobile crane, dozer and pavers with rubber track, fork lift truck, self-loading concrete mixer or any other construction equipment vehicle or combination thereof primarily designed to perform earth moving, excavation, loading, transportation, drilling, spreading, compacting or trenching of earth, rock , other materials, off-highway operations in mining, industrial undertaking, irrigation and general construction but modified and manufactured with "on or off" or "on and off" highway capabilities.

Explanation:—A construction equipment vehicle or Earth moving vehicle shall be a non-transport vehicle the driving on the road of which is incidental to the main off-highway function and for a short duration at a speed not exceeding 50 kilometers per hour, but such vehicle does not include other purely off-highway construction equipment vehicle designed and adopted for use in any enclosed premises, factory or mine other than road network, not equipped to travel on public roads on their own power. Any construction equipment vehicle or earth moving vehicle with crawlers / metal track, for example, tracked excavator or excavator with legs are not considered to be falling under the scope of CMVR, as they are not permitted to run on public roads.”;

(b) in the rule 96-A, in the sub rule (7) after first proviso following proviso shall be inserted namely.-

“Provided further that construction equipment vehicle manufactured on and after 1st day of April 2021 shall be provided with the braking system having performance as stipulated in IS/ISO: 6165: 2012 or shall comply to the requirements stipulated in AIS:143-2017 as amended from time to time.”;

(c) in the said rules, in the sub rule (2) of in the Rule 98-A, following proviso shall be inserted namely:-

“Provided that construction equipment vehicle manufactured on and after 1st day of April2021, shall be adequately designed to ensure efficient and effective control of the vehicle under all driving conditions so that the vehicle is able to steer within a turning circle diameter of 24 meters, conforming to the test procedure specified in ISO: 7457:1997 as amended from time to time. However in case of self-propelled tandem drum and single drum vibratory compactors, the turning circle radius & turning circle requirements shall be measured as per IS:5500 - Part 1 and Part 2, respectively.”;

(d) in the sub rule (3) of the Rule 98-A following proviso shall be inserted namely.-

“Provided that construction equipment vehicle manufactured on and after 1st day of April2021, shall comply the steering effort requirement as stipulated in IS/ISO: 6165: 2012 or CMVR shall comply as per

AIS: 144-2018as amended from time to time. However in case if emergency steering system is provided, the additional compliance requirements for emergency steering system as specified in AIS:144-2018 as amended from time to time, shall also be complied with.”;

(e) In the said rules, in the Rule 120,after sub rule (5)following sub-rule shall be inserted namely.-

“ (6) In the case of construction Equipment vehicles the emission sound pressure level at the Operator’s ear position under static test conditions shall be in accordance with ISO:6394:2008,Operator’s ear position under Dynamic test conditions shall be in accordance with ISO:6396:2008 and sound power level at stationary test condition shall be in accordance with ISO:6393:2008, sound power level at Dynamic test condition shall be in accordance with ISO:6395:2008 as amended from time to time, complying to the limits specified in Table -1 and Table -2 below.

Table -1: Noise limits for Operator Ear Level at Static and Dynamic Conditions

Type of Machine	Emission sound pressure level limit at operator’s position, dB(A) (For Construction Equipment Vehicle fitted with cabin)	
	Phase – I norms effective from 1st day of April 2021 (As per ISO 6394)	Phase-II norms effective from 1 st day of April 2024(As per ISO 6396)
All Earth Moving Machinery	90	85

Table -2: Noise limits for Pass by Noise test at Static and Dynamic Conditions

Type of machine	Engine gross power P, kW	Emissive sound power level limit dB(A)	
		Phase – I norms effective from 1 st day of April 2021 (As per ISO 6393)	Phase-II norms effective from 1 st day of April 2024 (As per ISO 6395)
Compaction machines (vibrating rollers)	P≤8	110	107
	8≤P≤70	111	108
	70≤P≤560	91+11 log P	88+11 log P
Wheeled loader, wheeled dozer, Backhoe loader, Skid Steer Loader, Dumpers, Motor Grader ,Dozers with Rubber track, Pavers with Rubber track, fork Lift truck, compaction Rollers (non-vibrating Rollers), Dump Truck or any other construction equipment falling under the scope of CMVR	P≤55	110	107
	55<P≤560	91+11 log P	88+11 log P
Wheeled hydraulic excavator	P≤15	98	95
	15<P≤560	85+11 log P	82+11 log P
Mobile crane, self-loading concrete mixer	P≤560	93+11 log P	90+11 log P

Note: The permissible sound power level shall be rounded to the nearest whole number (less than 0.5 use lower number; greater than or equal to 0.5 use higher number). The engine gross power P shall be determined according to TAP 115/116.

(f) in sub rule 125-A of rule 125, after first proviso following proviso shall be substituted.

“Provided further that Construction Equipment Vehicle, equipped with seat belt for the driver and for the person occupying the front seat and rear view mirror is deemed to be complying with the requirements, if the Construction Equipment Vehicle complies the requirement given in sub rule 125-J with effect from 1st day of October 2021.”

(g) In said rules, after rule 124-B, the following rule shall be inserted, namely.-

“124-C.Safety Standards of components for Construction Equipment Vehicles (CEV)

Construction equipment vehicles, shall comply with the provisions of AIS-160.

Provided that Part 1 of AIS-160, shall be applicable for construction equipment vehicles, as per scope of AIS-160, manufactured on and after [1stApril 2021].

Provided further that Part 2 of AIS-160, shall be applicable for construction equipment vehicles, as per scope of AIS-160, manufactured on and after [1stApril 2024].

[F.No. RT-11036/77/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd day of June, 1989 and lastly amended vide notification numberDated